

सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया



Central Bank of India

सुरक्षा विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, छिंदवाड़ा


. SECU. DEPTT, R. O, CHHINDWARA (M.P.)

निविदा सूचना

टाटा सूमो गोल्ड-वर्ष 2012	MP 28 C 8196	रिजर्व प्राईस रू-105000.00	कि.मि-164709
---------------------------	--------------	----------------------------	--------------

क्षेत्रीय कार्यालय, सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया, पंजाब भवन के पास, नरसिंगपुर रोड, छिंदवाड़ा अपना बालाघाट स्थित उक्त वाहन "जहां है-जैसा है" के आधार पर बेचना चाहता है. जिसके लिए बंद लिपाफे में निविदाए/बोली आमंत्रित की जाती है. अन्य नियम और शर्तें निमानानुसार रहेगी :-

- (1) क्षेत्रीय कार्यालय, सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया, छिंदवाड़ा के पक्ष में रू.10000.00 (दस हजार) का डी.डी. अर्नेस्ट मनी अथवा धरोहर राशि के रूप में, आवेदन के साथ लगाना अनिवार्य है.
- (2) आवेदन के साथ धरोहर राशि की डी.डी. नहीं होने की स्थिति में बोली निरस्त की जाकर इसकी कोई सूचना बोलीकर्ता को नहीं दी जावेगी.
- (3) सेंट्रल बैंक के स्टाफ/भूतपूर्व स्टाफ के लिए धरोहर राशि की अनिवार्य शर्त लागू नहीं रहेगी. चेक द्वारा भुगतान केवल सेवारत स्टाफ से ही स्वीकार किया जा सकेगा.
- (4) क्षेत्रीय कार्यालय के लिए लिखे सादे कागज़ पर आवेदन के साथ डी.डी. के अलावा अपने किसी एक अधिकृत पहचान पत्र की प्रति के साथ वाहन का विवरण, अपना नाम, पता, हस्ताक्षर, मोबाईल नंबर आदि सामान्यता: अनिवार्य रूप से लिखे जाने चाहिए.
- (5) सभी आवेदन, डी.डी, पहचान पत्र की प्रति, सील बंद लिपाफे में क्षेत्रीय कार्यालय में अंतिम तिथि 26.03.2024 तक पहुंच जाना चाहिए, इसके बाद के आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा. लिपाफे के ऊपर "वाहन नंबर के लिए बोली" अनिवार्य रूप से लिखा जाना चाहिए.
- (6) क्षेत्रीय कार्यालय में दिनांक 27.03.2024 को शाम चार बजे उपस्थित बोलीकर्ताओं के समक्ष लिपाफे खोले जायेंगे.
- (7) सर्वोच्च बोलीकर्ता को वाहन तभी सौंपा जावेगा जब आर टी ओ के द्वारा बोलीकर्ता के नाम वाहन रजिस्टर्ड कर दिया जावेगा. इस आशय की प्रति कार्यालय में जमा करनी होगी. नामांतरण, नंबर प्लेट आदि पर आने वाले खर्च को बोलीकर्ता द्वारा वहन किया जावेगा.
- (8) वाहन हस्तांतरण (डिलेवरी) के दिन से ही बैंक वाहन के प्रति अपनी जिम्मेवारी से मुक्त हो जावेगा. यह क्रेता की ही जिम्मेवारी होगी कि बैंक का लोगो, नाम, ब्रांडिंग आदि को वाहन के उपयोग से पूर्व वाहन से अनिवार्य रूप से हटा दे.
- (9) बैंक किसी भी ऑफ़र/बोली को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार रखता है .


(रोहिताश्व यादव)
मुख्य प्रबंधक
रिकवरी एवं डिजिटल बैंकिंग